>

Title: Need for decentralization of Judicial system in the country.

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): महोदय, माननीय उच्चतम न्यायालय की मंशा रही है कि न्यायपालिका का विकेन्द्रीकरण करके जनमानस को सुलभ एवं त्वरित न्याय उपलब्ध हो। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से देश में विभिन्न राज्यों की अनेक तहसीलों में मुनसिफ न्यायालयों की स्थापना भी हो चुकी है। लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र मिसरिख के अंतर्गत तहसील बिल्लोहर, जो कि एक प्राचीन एवं बड़ी तहसील है जिसके अंतर्गत 409 राजस्व ग्राम हैं और नगर पंचायत तथा नगर परिषद भी है। साथ ही में मुख्यालय तहसील जो कि कानपुर नगर से संबंधित है 60 किलोमीटर दूर पड़ता है और उसी के साथ ही में इसको कानपुर देहात की तरफ उसको संबद्ध किया जा रहा है। जिसकी दूरी लगभग 110 किलोमीटर है और सुदूर क्षेत्र जो कि कानपुर नगर से करीब 75 किलोमीटर दूर पड़ता है और कानपुर देहात का 125 किलोमीटर दूर पड़ता है। इससे प्रतीत होता है कि जनता को कानपुर नगर की अपेक्षा कानपुर देहात से काफी दूरी का सामना करना पड़ेगा और यातायात में भी बड़ी दिक्कतें आएंगी और 6 से 60 घंटे का समय लगता है। इससे गरीब न्याय पाने में असमर्थ रहेंगे जो कि न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों का भी सभ्य समाज तथा उच्चतम न्यायालय की मंशा के विपरीत है। मुख्यालय परिषद बिल्लोहर न्यायालय की स्थापना हेतु पर्याप्त उचित स्थल उपलब्ध भी है और उच्चतम न्यायालय के आदेश के अवलोक के अनुसार बिल्लोहर तहसील के आसपास क्षेत्र भी है परंतु सिविल कोर्ट की स्थापना आसपास हो चुकी है। मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अवलोक में तहसील बिल्लोहर जनपद कानपुर नगर की अपेक्षा सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने की दृष्टि से मुनसिफ न्यायालय की स्थापना करा के पुनः कानपुर नगर के न्यायिक क्षेत्र से संबद्ध किए जाने की आवश्यक कार्यवाही की जाए।